



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 02/03.11.2024 की रात्रि को थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि रात्रि में थाना बबेरु पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान कस्बा बबेरु में शिवाजी चौराहे से एक युवक एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था शक होने पर पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ । पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर करते हुए अवैध तमंचा व कारतूस कब्जे में लिया गया ।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रोहित उर्फ दादू पुत्र रामपाल सिंह निवासी वीर धुमाई सुरकी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 206/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी कस्बा बबेरु श्री कौशल सिंह
2. उ0नि0 श्री गया प्रसाद पटेल
3. कां0 मनोज यादव
4. कां0 अनूप कुमार
5. हो0गा0 फूलचन्द्र

